उत्तर प्रदेश सरकार
उच्च शिक्षा अनुभाग-1
संख्या: 1618/सत्तर-1-2002-15(03)/97
लखनऊ: दिनांक 14 अगस्त, 2002

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अध्यादेश, 2002 (उ०प्र० अध्यादेश संख्या-8, सन् 2002) की धारा 15 के अधीन निर्गत उ०प्र० कोचिंग विनियमन नियमावली, 2002 अधिसूचना संख्या-1324/ सतर-1-2002-15(3)/97 दिनांक 2 जुलाई 2002 के अन्तर्गत्त प्रख्यापित की गई है। उक्त प्रख्यापित की गयी नियमावली 2002 के नियम 4 तथा 5 में संशोधन अधिसूचना संख्या-1533/70-1-2002 15 (03)/97 दिनांक 01-8-02, अधिसूचना सं० 1578/70-1-2002 15(03)/97 दिनांक 08-8-02 द्वारा किया गया है। अब श्री राज्यपाल महोदय सम्यक विचारोपरान्त उक्त प्रख्यापित की गयी नियमावली के नियम 4 में निम्नवत् संशोधन किये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते है:-

	वर्तमान नियम	एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस [(धारा 3(2)]	4. इस नियमावली के अधीन किसी कोचिंग केन्द्र के रजिस्ट्रीकरण के लिए, देय फीस जैसी नीचे दी गयी है. में अभ्यावेशित या अभ्यावेशित किये जाने के लिए आशयित छात्रों की संख्या के अनुसार होगी-	4. इस नियमावली के अधीन किसी कोचिंग केन्द्र के रजिस्ट्रीकरण के लिए देव फीस, जैसी नीचे दी गयी है. में अग्याचेशित या अभ्यावेशित किये जाने के लिए आशयित छात्रों की संख्या के अनुसार होगी-
	(क) दस छात्रों से अनधिक 1,000/- रूपये	(क) दस छात्रों से अनधिक 250/- रूपये
	(ख) बीस छात्र से अनधिक 4,000/- रूपये	(ख) ग्यारह से बीस छात्रों की संख्या पर 1000/- रूपये
	(ग) इक्कीस से पचास छात्रों की संख्या पर 10,000/- रूपये	(ग) इक्कीस छात्र से चालीस छात्रों की संख्या पर 4.000/- रूपये
	(घ) पचास छात्रों से अधिक 25,000/- रूपये	(घ) इक्तालीस से पचास छात्रों की संख्या पर 5,000/-रूपये

		(ङ) इक्यावन से एक सौ छात्रों की संख्या पर 10,000/- रूपये (च) एक सौ एक से संख्या पर दो सौ छात्रों की संख्या पर 20,000/- रूपये (छ) दो सौ से अधिक छात्रों की संख्या पर 25,000/- रूपये
Fee fo registration- [Section 3(2)]	4 The fee payable for registration under these rules shall be in accordance with the number of students enrolled or intended to be enrolled in a coaching centre as given hereunder (a) not exceeding ten students Rs. 1,000/- (b) not exceeding twenty students Rs 4,000.00 (c) twenty one to fifty students Rs 10,000.00 (d) exceeding fifty students Rs 25,000,00	4. The fee payable for registration under these rules shall be in accordance with the number of students enrolled or intended to be enrolled in a coaching centre as given hereunder- (a) not exceeding ten students Rs 250/- (b) Eleven to twenty students Rs. 1,000/- (c) Twenty one to forty students Rs. 4,000/- (d) Forty one to Fifty students Rs. 5,000/- (c) Fifty one to hundred stüdents Rs. 10,000/- (1) One hundred one to two hundred Rs. 20,000/- (g) Exceeding two hundred students Rs 25,000/-

अधिसूचना संख्या 1578/70-1-2002-15(3)/97 दिनांक 8 अगस्त, 2002 को इस सीमा तक संशोधित समाना जाये।

आज्ञा से
आर. रमणी
प्रमुख सचिव

<u>पृष्ठांकन संख्या 1618(1) / सतर-1-2002-15 (03)/97 तद् दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।

5.प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
6.प्रमुख सचिव वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. प्रमुख सचिव विधायी विभाग, उत्तर प्रदेश।
8.विधि परामर्शी पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
9.निदेशक सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
11. शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश लखनऊ
12.शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13.निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14.जिला मजिस्ट्रेट, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
15.अपर जिला मजिस्ट्रेट, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
16.मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
17.कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
18. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा/बरेली/गोरखपुर/झांसी/कानपुर/लखनऊ/मेरठ/वाराणसी।
19. जिला विद्यालय निरीक्षक, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
20. उच्च शिक्षा के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
बी.डी. जोशी
संयुक्त सचिव